सेवा में,

Date : 03/01/2023

Honorable judge and Expert Member,
National Green Tribunal,
New Delhi

विषय : Reply to report submitted to hon'ble court on dated 28/09/2022 by HSPCB on O.A 373/2022

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुमित सैनी गांव निवासी दामला, जिला यमुनानगर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। **मेरे द्वारा माननीय न्यायलय में case No. 373/2022 याचिका दायर की गई है । जिसमे माननीय न्यायलय के आदेश पर HSPCB द्वारा इससे सम्बंधित Report दिनांक 28/09/2022 को कोर्ट मे पेश की गई है । जिसके सम्बन्ध में, मैं अपना तर्क व कुछ तथ्य माननीय न्यायलय के सामने इस Letter के माध्यम से रखना चाहता हूं ।**

जैसा कि Haryana pollution control board की report से लगता है। कि सब ठीक है या ये पूरी नियंत्रण से सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहे हैं । जाहिर भी है। कि अपनी गलती कौन मानता है । जबकि वास्तव में पारिस्थितिया इसके विपरित है। सब जानते है कि वास्तव में AQI index पूरे देश में कैसे है। नदियो का हाल कैसा है। इसी प्रकार हमारे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली काली राख और धुएं की कहानी। जबकि Department के हिसाब से सब ठीक-ठाक है । ये अफसर और सरकारे तो पैसा कमा के कही और चले जाते हैं फैक्टरी मालिक भी करोडो कमा के कही भी ईलाज करा लेगे। पर वहा के रहने वाले लोग pollution से होने वाली बिमारियों मे ही उलझ के रह जाते हैं जो कही जा भी नहीं सकते। इसलिए बस माननीय न्यायलय की तरफ आखिरी उम्मीद व आशा करते हुए हम देख रहे हैं कि हमे अपने मौलिक अधिकार साफ हवा व साफ पानी मिल सके। मै खुद अपनी जान व माल को खतरे में डाल कर सही करने की कोशिश कर रहा हूं ।

कुछ तथ्य की जानकारी (submitted report के खिलाफ) मै 4 cases के रूप में दे रहा हूं जो की निम्नलिखित इस प्रकार से है

Case No. 1: Status of Plywood factory and bricks kiln

जैसा कि pollution Department ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबको CTO दी गई है सब नियमो से सही चल रहा है । लेकिन Department तो छोटी सी कार्यवाही या जांच भी अपने Head department की Permission के बिना नहीं करता। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों (दुबारा visit) को भी इनके द्वारा पहले head office से chairman की permission लेकर अमल में लाया गया । तो ये हमारे लिए क्या सही काम करेगे ।
HSPCB ने मेरे एक पूछे गए सवाल का Answer नही दिया कि यह सब फैक्ट्रियां गांव के residential area मे कैसे चल रही है । जबकि इनके एक documents मे खुद लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता । मै इस document का पेज yellow mark annexure-1 करके attached कर रहा हूं ।
इसके साथ ही Report मे दिखाया गया है कि सभी pollution control equipment installed हैं। जबकि इनके ही एक Document में दिखाया गया है कि small boiler में multi cyclone के साथ bag filter भी होना चाहिए । मै इस document का पेज yellow annexure 2 करके attached कर रहा हूं । इस प्रकार Bag filter होना चाहिए वो कही नही बताया गया है। जबकि Department ने economiser/air preheater को pollution control equipment में दिखाया है। जो इस categories मे आता ही नहीं है ।

अभी नए Rules मे कई तरह की कम्पनियो को लगने के लिए pm level 25 mg/nm3 तक recommend किया गया है परन्तु plyboard industry के लिए अभी तक 1200 mg/nm3 से उपर है। जो कि समय के साथ कम होना चाहिए था । क्योकि 15-20 साल पहले गिनी चुनी फैक्टरिया होती थी परन्तु अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है । इस प्रकार emissions भी ज्यादा होगा । जिसके लिए मानको में सुधार होना चाहिए था । अब तो technology भी उपलब्ध है परन्तु सुधार की कोई भी recommendation board द्वारा नही की गई है । Cyclone सिर्फ Particulate matter को रोक सकता है वो भी अगर new technology से high efficient design हो। जबकि हमारे गाँव की छतो पर काली राख कोई भी आकर देख सकता है । इतनी सख्या में फैक्ट्रियों से sulphur dioxide and nitrogen dioxide को control करने के लिए कुछ भी प्रवाधान नही है। जिसको साफ करने के लिए water scrubber होना चाहिए । फिर इस recirculate पानी को भी साफ करने के लिए ETP plant होना चाहिए ।
HSPCB की report में लिखा है कि झ्र फैक्ट्रियों में domestic effluent के अलावा कुछ भी पानी waste नही है । जिसके लिए septic tank है । जबकि सभी फैक्ट्रियां ply को चिपकाने के लिए glue तैयार करती है जिसमें urea और chemical का इस्तेमाल होता है । इसका कुछ Avg. waste (Company capacity basis) 200-1000 liter/week निकलता है जो फैक्ट्रिया ऐसे ही डालती होगी इधर उधर !
Department ने bricks kiln में इस्तेमाल pollution control equipment का तो कुछ बताया ही नही । सब ऐसे ही चल रहा है । और ये CTO पास कर रहे है।
मैं एक छोटा सा आकड़ा पेश कर रहा हूं । Report के अनुसार Avg. 3-5 ton boiler को consider करते हुए अगर इसमे Avg. 1.5 ton wood scrap प्रति घंटे जलता है तो 28 फैक्ट्रियो में Avg. 42 ton/hour wood scrap जलता है जो कि पूरे दिन मे कितना होगा। और पूरे महीने व वर्ष मे कितना होगा। और पूरे यमुनानगर जिले जहा 700+ फैक्ट्रिया है । इसप्रकार कितना ज्यादा pollution load है वो भी सिर्फ इन प्लाईवुड फैक्ट्रियो से। और department कहता है कि सब ठीक है तो इनके द्वारा सुधार करना तो भूल जाए हम ।
जाहिर है सर कि ये सरकारे, अफसर और फैक्टरी मालिक मिल कर पर्यावरण को ताक पर रखकर अपनी जेबे भरते हैं और आम नागरिकों को रोजगार दे रहे हैं बोल कर उन्हे बिमारियो की तरफ ढ़केल दिया जाता है और सरकारे बोलती है। हम तुम्हारे लिए जगह जगह पर cancer hospital बना रहे है।

अगर सब सही है तो हमारे पीने के पानी मे शौरे की मात्रा क्यों बढती जा रही है। AQI index क्यो नही सही होता है । जो कभी बिलकुल साफ़ होते थे। इनके लिए और भी factor जिम्मेदार हो सकते है पर सबसे खतरनाक और ज्यादा industrial pollution है । जिसको रोकना अति आवश्यक है ।

Case No. 2: Status of SPS Bio chem pvt. Ltd.

इस केस में भी Department ने अच्छा खेल खेला है। शुरु मे इतनी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी शुगर मल्ली गाँव में ऐसे ही पड़ी रही । फिर माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने के बाद इसे उठवाने के लिए department द्वारा एक्शन लिया गया। इसमें department द्वारा company को बंद करने के भी निर्देश दिए गए और 50 lac का भी जुर्माना लगाया गया । फिर भी इसकी construction का काम लगातार जारी रहा। आखिर मे department द्वारा जुर्माना भी 15 lac वसूला गया है । और company को गांव मे residential area के समीप चलाने की अनुमति दे दी गई है । जिस पर मैने department के सामने विरोध प्रस्ताव भी दिया है । इसका विरोध मेरे साथ साथ 3-4 गांव की नव निर्वाचित पंचायते भी कर रही है क्योकि यह company इन गांवो के सम्मीप भी लगती है । मैं मेरे द्वारा दर्ज विरोध कापी व पंचायतो द्वारा दर्ज विरोध कापी annexure-3 के रूप में attached कर रहा हूं ।
मैं माननीय न्यायलय से कहना चाहता हूं कि मूर्गी फार्म जैसा छोटा सा उद्योग जिसमे Biodegradable waste की वजह से इसको 500 mtr. दूर लगाने के नियम department ने बना रखे है परन्तु इस कम्पनी में very huge 200 ton/day biodegradable waste use होगा। इस plant मे अगर 5-10 दिन की भी press mud को एकत्रित किया गया तब भी 1000- 2000 Ton quantity बनती है जो कि बहुत ज्यादा है और ये तो पता नही कितना एकत्रित करेगे, क्योकि शुगर मिल तो सिर्फ 4 -5 month ही चलता है । और ये plant पूरे साल चलेगा। इसको देखते हुए कैसे

इसको गाव मे लगाने दिया जा रहा है । ये कम्पनी तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर देगी। इसके अलावा इसमें safety or security के भी issue रहेगे। क्योकि बहुत ज्यादा मिथेन गैस लगभग 5000-8000 Kg/day का उत्पादन होगा। और इतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि हवा मे ऐसे ही छोड दी जाएगी । इसके अलावा H2S भी बनेगी। इसमें क्योकि 200 TPD बहुत बड़ा plant होगा तो waste water slurry उपयोग करने के बाद भी 100 kld per day waste water बचेगा, तब यह plant CPCB के एक norm के अनुसार Red category में आएगा । इन सबको देखते हुए यह pollution load वाला plant कैसे गांव के residential area के समीप लग रहा है । और वो भी department को सब बताने व मामले की जानकारी होने के बावजूद भी ।
हम माननीय न्यायलय से अपील करते हैं कि इस कम्पनी को बन्द करने के निर्देश दिए जाएं । इसके अलावा हमारी health से खिलवाड करने के लिए हर्जाना व सजा दी जाए ताकि कोई भी जानबूझ कर आगे से ऐसा ना करे। और समाज मे संदेश जाए कि ज्यादा पैसे होना व political power का रोब दिखाने से कुछ नहीं होता । देश में कानून का राज है। और माननीय न्यायलय इंसाफ के लिए उपलब्ध है।

Case No. 3: Status of Municipal solid waste

हमारे गाँव की सीमा के पास **औरंगाबाद गांव में** यमुनानगर नगर निगम ने Munciple solid waste dump site बना रखी थी । इसकी एक शिकायत औरंगाबाद गांव के लोगों की तरफ से भी Ngt मे भेजी गई है। जिसको माननीय न्यायलय ने इसी 373 case के साथ सम्मलित कर दिया है । इसमें कोर्ट के दखल के बाद September 2022 महीने मे एक location से MSW उठा लिया था। और उसी के समीप (रोड के दूसरे तरफ) वाली जगह से आधी MSW उठा ली थी। परन्तु अब फिर से December month से वहा दुबारा कुडे के ढेर लगाने शुरु कर दिए हैं
इसमे भी प्रशासन का वही मिलि भगत का खेल शुरु हो गया है । क्योकि अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये गांव की तरफ से मिली शिकायत पर May 2021 मे ही कुछ कार्यवाही करते ।
अब लगता है। कोर्ट क़ी मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं उसमे भी अब कम्पनी को black list करके company को भी हर्जाने से बचा लेंगे और खुद को भी officer सही बता के अपने खिलाफ कार्रवाई से बच जाएगे। और new changes करके किसी और को ठेका दे देगें। जोकि लगता है दे दिया है क्योकि December month से दुबारा वहां waste डालना शुरू कर दिया गया है । जिससे एक बार फिर से वही दुर्गंध आनी शुरू हो गई है
इसके अलावा औरगाबाद गांव जो कि अब Municipal corporation के अन्तर्गत आता है इसमे 40+ diary farm काफी समय से चल रहे है। जिसमे पशुओ की संख्या हजारो में है। इससे निकलने वाला waste भी प्रशासन द्वारा ऐसे ही नाले में छोड दिया जाता है ना कोई व्यवस्था है। ना कोई treatment plant. ये भी पास से निकल रही ditch drain (case no. 4) में डाल दिया जाता है गोबर की smell पूरे गांव में रहती हैं । इसके बारे मे भी प्रशासन को कुछ नहीं मालूम है। या जब तक कोई नही बोलेगा तो कार्यवाही अपने स्तर पर नही करेगे। प्रशासन को हर काम हाथ से पकड कर और कोर्ट के निर्देश पर करने की आदत पड चुकी है उसमे भी मंशा साफ नही होती। बस रिश्वत से काम होते हैं
माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं की **ऐसे अधिकारियो या department पर जुर्माने भले ही ना लगाया जाए। क्योकि पैसा तो public tax का ही है । परन्तु इनको बर्खास्त करने के निर्देश जरूर दिए जाए। ताकि भविष्य में अन्य officer द्वारा सही व ईंमानदारी से काम किए जाए। और काम किसी पैसो या political इच्छा के तहत ना हो ।**

Case No. 4: Status of ditch drain

इस case के बारे में मैने माननीय कोर्ट का आदेश पढा है जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार सही है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं । परन्तु सरकार द्वारा रिपोर्ट में मुख्य वजह या तथ्य छिपा लिए गए हैं। जिसमे drain के untreated 66 MLD waste water को domestic effluent ज्यादा दिखा कर, chemical युक्त

industrial effluent को छिपा लिया गया है । और सरकार द्वारा बता दिया गया कि झ्ह सब कम्पनियो के पास तो अपना treatment plant है। और जो पानी Treat हो रहा है वह बिलकुल सही है। हम माननीय न्यायलय से अपील करते हैं कि यही industrial effluent chemical added पानी main pollution का कारण है। यहाँ बहुत industrial waste water बिना treat के ही निकाला जाता है। Department उन्ही कम्पनियो का नाम कार्यवाही के तौर पर बोल देता है जो खुद ही अपने निजी कारणो से बन्द होती है। क्योकि आज बहुत प्रभावी technology उपलब्ध है और इनके डिस्चार्ज मानक सही है तो क्यों नही industry वाले अपने waste water को reuse करते हैं । Domestic effluent main कारण नही है हम अपील करते हैं कि माननीय कोर्ट दुबारा industrial effluent treatment की जांच के आदेश दे ताकि सच सामने आए ।

मैं माननीय न्यायलय को बताना चाहता हूं कि यह drain 40 km लंबा है इसमें यमुनानगर के अलावा कई अन्य जगह भी industrial effluent मिलता है जैसे यमुन नगर मे शुगर मिल, पेपर मिल, डिस्टिलरी, corn starch , बर्तनो की फैक्ट्रिया , कही और जगह पर डिस्टलरी, प्लाईवुड etc. यह drain जिस भी गाव के आस पास से निकलता है वहा के सभी गांव प्रभावित है। उनका पीने का पानी दूषित है। इस drain के आस पास की सभी फसले भी प्रभावित होती है । इसके अलावा mosquitoes, fly, foul smell भी आती है । इसके बारे मे पहले भी लोगों ने शिकायतें की, मुख्यमत्री से भी मुलाकात की, परन्तु सबकी मिलिभक्त से लोगों ने भी आस छोड दी है। क्योकि इसमे बड़ी बडी industry शामिल हैं माननीय कोर्ट खुद स्थिति का जायजा ले सकते हैं । मुख्य chemical युक्त waste industry से ही discharge होता है जो खुद नदी भी साफ करने मे असमर्थ हैं और department इन्ही क़ो बचा रहा है। क्यो नही इन पर zero waste discharge लागू करते । क्योकि industry द्वारा equipment सिर्फ दिखाने के लिए लगाए होते हैं। और department द्वारा काम सिर्फ कागजों पर होते हैं । जबकि हकिकत मे आखो से और smell से ही कोई भी ditch drain के पानी की हालत देख कर बता सकता है कि ये कितना ज्यादा polluted है

इस प्रकार अपनी बाते रखते हुए मै माननीय न्यायलय से request करता हूं कि उपरोक्त बातों व तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हमे उचित न्याय दिलवाने की कृपया करे। अगर माननीय न्यायालय चाहे तो department के officer व उनके family members के bank Account व सम्पति की जांच-पड़ताल कराने के निर्देश दे सकते है इससे पत्ता चल जाएगा कि रिश्वतखोरी की वजह से pollution problem देश में solve नही हो पाती है । अगर जिस काम के लिए department को बनाया है। वही नही कर सकता तो फिर इसको बन्द कर देना चाहिए । अगर political pressure या अन्य कारण है तो उन्हे department द्वारा बाहर लाया जाए। ताकि कम से कम आम नागरिक की health तो बच सके। इसी वजह से हमारी मांग यह भी थी। Industry के पास के निवासी ही अपनी रक्षा खुद करे इन industry discharge के मानकों को समय समय पर check करके ।

धन्यवाद,

याचिकाकर्ता,

Sumit Saini
S/o Shri Rajinder saini, Kishan Pura Damla
Yamunanagar-135001, Haryana
Ph. 9034103390

Red, Orange and Green categories and intimation to the Board in this regard shall suffice.

However, this type of units will have to provide required pollution control devices to meet the prescribed standards for discharge of environmental pollutants, where ever required, depending upon their process and activities and these Industrial/ Non-Industrial Sector/Project/Unit shall be governed by self regulatory regime and are not permitted to pollute the environment.

No inspection of White category of industries will be carried out by the Board officials except in the cases where any complaint is received against such type of industries for causing pollution.

1.4 The Industrial/ Non-Industrial Sector/Project/Unit already existing and not covered previously under consent management as per notification date 15.04.2014 or earlier but have been covered under consent management now as per new categorization of industrial sectors appended with this procedure, shall obtain only CTO and will not require to obtain the CTE.

1.5 Siting of the industries / projects shall be only in confirming areas and no industry/project shall be permitted to establish or operate in the ecologically fragile area / protected area or in any non confirming areas or in the residential areas of MCs / HUDA / villages and in any other approved residential colonies / areas.

1.6 The units covered under Environment Impact Assessment (EIA) Notification dated 14.09.2006, as amended from time to time, shall apply for Consent to Establish to the Board only after obtaining prior Environmental Clearance from the Competent Authority.

1.7 The Industrial/ Non-Industrial Sector/Project/Unit falling in the area prescribed in the Aravali Notification dated 7th May, 1992 issued by MoEF & CC, shall require prior clearance from competent authority prescribed under the Aravali Notification, before applying to the Board for CTE or 1st CTO in case of new units covered under consent management as per new categorization of projects listed in this procedure.

1.8 The report regarding siting of the projects outside the Aravali area in the Districts of Gurgaon & Mewat, shall also be taken for the purpose of Consent to Establish (CTE) or first CTO in case of new units covered under consent management as per new categorization of projects listed in this procedure, from Tehsildar and District Forest Officer through the concerned

Deputy Commissioner, to ensure the compliance of the provisions of Aravali Notification dated 7th May, 1992 in addition to other prescribed documents. However, in case of Industrial/ Non-Industrial Sector/Project/Unit located in approved industrial estates/approved HUDA sectors of District Gurgaon and Mewat, verification report in this regard would be required from Regional Officer concerned.

1.9 The projects falling in the revenue estates, covered in ambit of the Notification no. 191(E) dated 27.08.2010 issued by Ministry of Environment, and Forest, Government of India regarding protected area of Sultanpur National Park in District Gurgaon, shall comply with the provisions of said Notification and will obtain the prior permission/clearance of the Monitoring Committee and the Prescribed Authority constituted under the said Notification before submitting the application for CTE to the Board.

Annexure – 2

			Inland Surface Water	Public sewer	Land for irrigation
		pH	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0
		Suspended Solids	100	600	200
		Oil & Grease	10	20	10
		BOD, 3 days at 27 °C	30	350	100
		COD	250	-	-
		C- Stormwater Standards			
		(i) Stormwater for a unit (having plot size atleast 250 square metres) shall not be allowed to mix with scrubber water, effluent and/or floor washings.			
		(ii) Stormwater within the battery limits of a unit shall be channelized through separate drain/pipe passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall			

[1][70.	**Boiler (Small)**	Steam generation capacity (ton/hour)	Particular matters emission (mg/Nm^3)
		less than 2	1200*
		2 to less than 10	800*
		10 to less than 15	600*
		15 to above	150**
		* to meet the respective standards, cyclone/multicyclone is recommended as control equipment with the boiler.	
		** to meet the standard, bag filter/ESP is recommended as control equipment with the boiler.	
		Note: (i) 12% of CO_2 correction shall be the reference value for particulate matter emission standards for all categories of boilers. (ii) These limits shall supersede the earlier limits notified under Scheduled I at serial number 34 if Environment (Protection) Act, 1986 vide notification GSR 742(E), dated 30th August, 1990. (iii) Stack Height for small Boilers. For the small boilers using cola or liquid fuels, the required stack height with the boiler shall be calculated by using the formula. $H=14\ Q^{0.3}$ Where H- Total Stack height in meters from the ground level. Q = SO_2 emission rate in kg/hr. In no case the stack height shall be less than 11 metres. Where providing all stack are not feasible using above formula the limit of 400 mg/Nm^3 for SO_2 emission shall be met by providing necessary control equipment with a minimum stack height of 11 metres.]	

[1] Sl. No. 70 entries relating thereto inserted by Rule 3(c) of the Environment (Protection) Amendment Rules, 1996 notified by G.S.R. 176(E), dated 2.4.1996.

Annexure – 3

पासकर्त्ता

ग्राम पंचायत दामला

खण्ड जगाधरी, जिला यमुना नगर (हरियाणा)

Mob. : 9812022608

क्रमांक : ....

दिनांक : 03/01/2023

सेवा में,

माननीय न्यायालय
NGT, New Delhi

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि ग्राम पंचायत दामला में आबादी के पास M/S SPS bio chem Pvt Ltd, द्वारा waste to energy CNG plant लगाया जा रहा है जिसमे बड़ी मात्रा में biodegradable waste (press mud - शुगर मिल की मल्ली) का उपयोग किया जाएगा। जोकि काफी दुर्गंध के साथ साथ मख्खी व मच्छर के पनपने का भी कारण बनती है। इससे पर्यावरण भी दूषित होगा व लोगो के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पडेगा। इसलिए गांव दामला व इसके आस पास के सभी गांव भी (दूधला, दुघली, रेतगढ) इस plant को अपनी गांव की सीमा व आबादी के पास नही लगाने देना चाहते है। इसलिए हम सभी ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंच व पंच मिलकर माननीय न्यायालय से अपिल करते है। कि हमारी इस application को case No. 373 (Sumit Saini vs HSPC) के साथ सम्मलित किया जाए। व इस Plant को गांव मे लगाने व चलाने से तुरंत प्रभाव से रोका जाए। हम सब ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद,

निवेदन कर्ता,
सरपंच व समस्त पंच,
ग्राम पंचापत दामला

सरपंच GuRbaksh
ग्राम पंचायत दामला
खण्ड जगाधरी, जिला यमुनानगर

Mohit Kumar
Neha Rani
Sushil Kumar
Shallu Kamboj
Rajat
Sonia Sharma
Dharmender Singh
Radha
Dharampal
Sunita Rani

कार्यालय : गांव व डा० दामला, जिला यमुना नगर-13500। (हरियाणा)

खण्ड समिति जगाधरी

वार्ड न० 3 दामला

सेवा में,

माननीय न्यायालय
NGT, New Delhi

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि ग्राम पंचायत दामला में आबादी के पास M/S SPS bio chem Pvt Ltd, द्वारा waste to energy CNG plant लगाया जा रहा है जिसमे बड़ी मात्रा में biodegradable waste (press mud - शुगर मिल की मल्ली) का उपयोग किया जाएगा। जोकि काफी दुर्गंध के साथ साथ मख्खी व मच्छर के पनपने का भी कारण बनती है। इससे पर्यावरण भी दूषित होगा व लोगो के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पडेगा। इसलिए गांव दामला व इसके आस पास के सभी गांव भी (दूधला, दुघली, रेतगढ) इस plant को अपनी गांव की सीमा व आबादी के पास नही लगाने देना चाहते है। इसलिए हम सभी हल्का वासी व नव निर्वाचित सदस्य खण्ड समिति जगाधरी मिलकर माननीय न्यायालय से अपिल करते है। कि हमारी इस application को case No. 373 (Sumit Saini vs HSPC) के साथ सम्मलित किया जाए। व इस Plant को गांव मे लगाने व चलाने से तुरंत प्रभाव से रोका जाए। हम सब ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद,

निवेदन कर्ता,

नेहा सैनी Neha Saini
सदस्य वार्ड नं 3, दामला
खण्ड समिति जगाधरी,

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत दुधला, खण्ड जगाधरी, जिला यमुनानगर(हरियाणा)

संदर्भ संख्या.....3........ दिनांक 4-1-2023

सेवा में,

माननीय न्यायालय,
NGT, New Delhi

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि ग्राम पंचायत दूधला में आबादी के पास M/s SPS Bio Chem Pvt. Ltd. द्वारा Waste to energy CNG Plant लगाया जा रहा है जिसमें बडी मात्रा में Biodegradable waste (press mud-शुगर मिल की मल्ली) का उपयोग किया जाएगा। जोकि काफी दुर्गंध के साथ साथ मख्खी व मच्छर के पनपने का भी कारण बनती है। इससे पर्यावरण भी दूषित होगा व लोगो के स्वास्थय पर भी बुरा असर पडेगा। इसलिए गांव दूधला व इसके आस–पास के सभी गांव भी (हरगढ, दामला) इस प्लांट को अपने गांव की सीमा व आबादी के पास नही लगाने देना चाहते है। इसलिएं हम सभी ग्राम पंचायतो के नव निर्वाचित सरपंच व पंच मिलकर माननीय न्यायालय से अपिल करते है कि हमारी इस दरखास्त को केस नं. 373 (Sumit Saini Vs HSPC) के साथ सम्ममिल किया जाए। व इस प्लांट को गांव में लगाने व चलाने से तुरंत प्रभाव से रोका जाए। हम सब ग्रामवासी आपके आभारी रहेगें।

धन्यवाद

निवेदन कर्ता

Dippi Saini
DIPPI SAINI
SARPANCH
Gram Panchayat, Dudhla

सरपंच व सम्सत पंच,
ग्राम पंचायत दूधला।

Parveen Kumar

Tajmeen

सुमा/पंच न-4

Asgar Ali

हरविन्द्रकुमार

Vikaskumar

हीना

Gulshan Kumar

सेवा मे,

माननीय न्यायालय.
NGT, New Delhi.

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि ग्राम पंचायत रोड़छप्पर में आबादी के पास M/S SPS bio chem Pvt Ltd. द्वारा waste to energy CNG plant लगाया जा रहा है जिसमें बड़ी मात्रा में biodegradable waste (press mud - शुगर मिल की मल्ली) का प्रयोग किया जाएगा। जोकि काफी दुर्गंध के साथ साथ मक्खी व मच्छर के पनपने का भी कारण बनती है। इससे पर्यावरण भी दूषित होगा व लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए गांव दामला व इसके आस पास के सभी गांव (दुधला, दुधली, रैतगढ़) इस plant को अपनी गांव की सीमा व आबादी के पास नही लगाने देना चाहते है। इसलिए हम सभी ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंच व पंच मिलकर माननीय न्यायालय से अपील करते है। कि हमारी इस application को case no. 373 (Sumit Saini vs HSPC) के साथ सम्मलित किया जाए। व इस plant को गांव मे लगाने व चलाने से तुरंत प्रभाव से रोका जाए। हम सब ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद,

निवेदन कर्ता,

सरपंच व समस्त पंच,

ग्राम पंचायत रोड़छप्पर

किरणा देवी

Sarpanch
Gram Panchayat Road Chhapper
Block Jagadhri, Yamuna Nagar

Lichwar

Beeman

SAvita

Parmod Kumar